पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची लिपिक वर्गीय 2017-18// 1685 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक// 27 जुलाई, 2021

-:: कार्यालय ज्ञाप ::-

वाणिज्य कर विभाग में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3057 दिनांक 25-09-2019 के माध्यम से जारी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में निम्नलिखित कार्मिक का नाम सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के अनुसार विचारोपरान्त उक्त ज्येष्ठता सूची में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निम्नवत् नाम सम्मिलित किया जाता है :-

श्री सुरेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक, बुलन्द शहर, आयोग श्रेष्ठता क्रमांक-514 ।

डिप्टी कमिश्नर/ आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, बुलन्दशहर के पत्र संख्या-628 दिनांक 05-09-2019 से प्राप्त सूचनानुसार उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पत्र संख्या-1165 दिनांक 22-09-2017 के माध्यम से प्रेषित चयनित कामिकों की श्रेष्ठता सूची के क्रमांक 514 पर अंकित कार्मिक श्री सुरेश चन्द्र, का नाम दिनांक 25-09-2019 को जारी ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित होने से रह गया है। उपलब्ध कराये गये साक्ष्य अनुसार श्री सुरेश चन्द्र की जन्मतिथि 07-07-1986, नियुक्ति आदेश की तिथि 17-02-2016, कार्यभार ग्रहण की तिथि 18-02-2016 तथा स्थाईकरण की तिथि 15-02-2019 है जिसके अनुसार उन्हें ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 3437 एवं क्रमांक 3438 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक 3437ए पर अवस्थित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार किये गये ज्येष्ठता संशोधन की कार्यवाही को अनिवार्य रुप से समस्त कार्मिकों को अवलोकित करा दिया जाय तथा यदि दिनांक 30-06-2016 तक नियुक्त किसी अन्य कार्मिक का नाम ज्येष्ठता सूची में अंकित होने से रह गया हो तो सम्बन्धित कार्मिक का पूर्ण विवरण विलम्बतम 30-07-2021 तक मुख्यालय उपलब्ध करा दिया जाय।

अतः स्मरण रहे कि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् यदि किसी कार्मिक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी आपत्ति को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा तथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक //उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

1 समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2- अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त आहरण/ वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- श्री सुभाष चन्द्र राय, कनिष्ठ सहायक, (ज्येष्ठता क्रमांक-3438), कार्यालय डिप्टी कमिश्नर खण्ड-8 वाणिज्य कर, लखनऊ को नाम से।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।